न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2014RAAJu223RTA037 Sonraj etc Vs LRs of Babulal

सोनराज उर्फ सोहनलाल पुत्र जांवताराम उर्फ जांवता ब्राह्मण
जरिये कायममुकामान --

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
2. नवरतनमल पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
3. राधेश्याम पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
4. पिस्ता पुत्री सोनराज ब्राहम्ण

निवासीगण कालाउना, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र (फौत) जरिये कायममुकामान-
   a. भंवरी पत्नी बाबूलाल
   b. माणकलाल पुत्र बाबूलाल

   निवासीगण गजानन्द कॉलोनी, गायत्री सदन
   के सामने
   सूथला, चौपासनी रोड, जोधपुर
2. फुसाराम पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र
5. सुगनचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
6. छोटाराम पुत्र सिरदाराराम
7. मोतीराम पुत्र सिरदाराराम
8. खेमचन्द पुत्र ढगलाराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र ढगलाराम
10. तेजराम पुत्र ढगलाराम
11. द्वारकादास पुत्र हापूराम
12. गुदडराम पुत्र अन्नराज के कायममुकामान--
    a. अजोध्या देवी पत्नी गुदडराम
    b. संतोष पुत्री गुदडराम
    c. राजेन्द्र कुमार पुत्र गुदडराम
    d. सम्पतराज गौड पुत्र गुदडराम
    e. प्रमोद कुमार गौड पुत्र गुदड़राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासीगण कालाऊना, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

13. घीसाराम पुत्र अन्नराम ब्राह्मण
14. हंसराज पुत्र नैनाराम
15. शिवराज पुत्र नैनाराम
16. भगवानदास पुत्र नैनाराम के कायममुकामान -
    a. जनार्दनलाल पुत्र भगवानदास
    b. जयनारायण पुत्र भगवानदास
    c. हरिशचन्द्र पुत्र भगवानदास
    निवासीगण कालाऊना, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
    d. शारदा पुत्री भगवानदास के कायममुकामान--
        i. सुभाष पुत्र जगदीश ब्राहम्ण
        ii. मंजू पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी हिसार (हरियाणा)
        iii. मधु पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी बीकानेर
17. नाथीदेवी पत्नी सोहनलाल (फौत)जरिये कायममुकामान-
    a. बुद्धाराम पुत्र सोहनलाल
    b. सुरेश पुत्र सोहनलाल
    निवासीगण मकान संख्या 156 प्रताप नगर द्वितीय देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा
    c. शारदा पुत्री सोहनलाल इन्दोरिया पत्नी सोहनलाल व्यास(ब्राहम्ण) निवासी टेवाली वाया सोमेसर तहसील व जिला पाली
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर
19. चैनाराम पुत्र मांगीलाल गुर्जर, निवासी रास, तहसील जैतारण जिला पाली
20. गिरधारीसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत, निवासी राबडियावास, तहसील जैतारण जिला पाली
21. अमित पुत्र आवडदान चारण निवासी प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला पाली

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहायक कलेक्टर बिलाडा दिनांक 19 मई 2014 राजस्व मूल वाद संख्या 04/2002 सोहनराज के कायममुकाम प्रकाशचन्द्र व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 6 व 7
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - रेस्पो. 18

नि र्ण य

दिनांक : 18 नव., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर, बिलाडा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 4/2002 सोहनराज के कायममुकाम प्रकाशचन्द्र व अन्य बनाम बाबुलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 मई 2014 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 मई 2014 को प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर जाहिर किया कि राजस्व ग्राम कालाऊना के खसरा संख्या 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 350, 351, 341, 344, 346, 347 और 1070/349 रकबा 97 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 का ¼ हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 और जावंता पुत्र पाबु का संयुक्त रूप से ½ हिस्सा और बकाया ¼ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 14 से 16 का है।

इसी प्रकार खसरा संख्या 1069/351 व 1077/341 रकबा एक बीघा 03 बिस्वा वाके मौजा कालाऊना में प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 का ¼

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्सा, जावतां का ¼ हिस्सा व बकाया ¼ हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का होना जाहिर किया।

इसी प्रकार खसरा संख्या 340, 342, 343 व 348 रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा कालाऊना में प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का ½ हिस्सा और बकाया ½ हिस्सा जांवता पुत्र पाबू का होना बताया।

साथ ही कथन किया कि अन्नराज एवं जांवता दोनों परस्पर सगे भाई थे, जांवता के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था, एकमात्र जाईन्दा पुत्री प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथीदेवी थी, इस कारण जांवता द्वारा अपने भाई अन्नराज के पुत्र वादी सोनराज को संवत 2033 में सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण किया, इसके अतिरिक्त दिनांक 22 फरवरी 1988 को वादी सोनराज के पक्ष में एक वसीयतनामा भी निष्पादित किया। इस प्रकार जांवता के देहावसान के बाद वादग्रस्त आराजियात में उसके हक-हिस्से की भूमि का वारिस वादी सोनराज हुआ, मगर प्रतिवादिनी संख्या 17 द्वारा वादग्रस्त आराजियात से वादी को जबरन बेदखल करने की धमकिया देने पर दावा पेश करना पडा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। सम्मनों की समुचित तामील के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2002 को प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एवं दस के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 06 अप्रेल 2002 को प्रतिवादिनी नाथी की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 25 मई 2002 को बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण संख्या 8,9,11, 14 व 15 के खिलाफ भी इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। 20 सितम्बर 2002 को प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथी की ओर से जबाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया, जिसमें जाहिर किया गया कि जांवता की वह एक मात्र पुत्री है, उसके पिता द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न तो किसी को दत्तक लिया गया और न ही कोई वसीयतनामा निष्पादित किया गया। विरासत के आधार पर जांवता के हिस्से की आराजियात की वह तन्हा उत्तराधिकारी है। 20 सितम्बर 2002 को प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। दिनांक दिनांक 17 अक्तूबर 2002 को प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया। 16 मार्च 2003 को वादी-पक्ष की ओर से प्रतिवादिनी संख्या 17 के काउण्टर-क्लेम का जबाबुल जबाब पेश किया गया।

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम एवं जबाबवुल जबाब के आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2004 को तनकियात कायम की गयी।

अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए वादी-पक्ष की ओर से प्रदर्श-1 वसीयतनामा, प्रदर्श-2 गोदनामा प्रस्तुत किया गया। साथ ही वादग्रस्त आराजियात से संबंधित प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया गया।

इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 मई 2014 पारित करते हुए वादीगण का दावा खारिज कर दिया और प्रतिवादिनी नाथीदेवी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 12, 13 व 17 को संयुक्त रूप से राजस्व ग्राम कालाऊना के खसरा संख्या 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 350, 351, 341, 344, 346, 347 और 1070/349 रकबा 97 बीघा 10 बिस्वा भूमि के ¼ हिस्से बाबत, खसरा संख्या 1069/351 व 1077/341 रकबा एक बीघा 03 बिस्वा वाके मौजा कालाऊना आराजियात के ½ हिस्सा बाबत एवं खसरा संख्या 340, 342, 343 व 348 रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा कालाऊना में से ½ हिस्से बाबत खातेदार काश्तकार घोषित कर तदुनसार बाई मीट्स एण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

बाउण्ड्स बंटवारा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडार को निर्देशित किया। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 19 मई 2014 के खिलाफ आलोच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ड्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार जांवताराम के कोई जाइन्दरा पुत्र नहीं था, उसकी एकमात्र जाईन्दा पुत्री प्रतिवादिनी-रेस्पो. नाथीदेवी गांव बलाडा, तहसील जैतारण में सोहनराज ब्राह्मण को परणाई हुई है और विगत 57-58 सालों से गांव बलाडा में ही निवास कर रही है, जांवताराम ने संवत 2033 की जेठ वद सातम को वादी सोनराज उर्फ सोहनलाल को दत्तक ग्रहण किया था, सन् 1945 में जांवताराम की पत्नी गोपीदेवी का देहान्त हो गया था, संवत 2069 (सन 1986) के आसपास स्वयं जांवताराम का देहान्त हुआ, 22 फरवरी 1985 को जांवताराम ने वादी सोनराज के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया था जिसमें समस्त चल व अचल सम्पत्ति वादी के पक्ष में वसीयत कर दी गयी थी। अधिवक्ता अपीलाण्ड्स ने यह भी बहस में कथन किया कि प्रतिवादिनी-रेस्पो. नाथी को उसका हिस्सा उसके विवाह के वक्त, उसके बाद में मायरा, पेहराणी आदि, आणे-टाणे आदि के तौर पर सोने-चांदी के रूपयों में दे दिया गया था। अतः अब वादग्रस्त आराजियात में जांवताराम के हिस्से में प्रतिवादिनी का कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। वादी-अपीलाण्ट सोनराज के प्राकृतिक पिता का नाम अन्नराज था, जांवताराम व अन्नराज परस्पर सगे भाई थे। जांवताराम के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उसने अपने भाई अन्नराज के पुत्र सोनराज को विधिवत दत्तक की सभी रस्में, गिविंग व टेकिन्ग आदि की रस्में विधिवत पूर्ण कर दत्तक ग्रहण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दत्तक के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंधमें कायम तनकी मात्र इस आधार पर वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ निर्णित की कि गोदनामा में नजदीकी वारिसान का एक भी साक्ष्य का शपथपत्र पेश नहीं किया गया है, इस कारण गिविंग एण्ड टेकिंग की रस्म गोदनामा में पूर्णतः साबित नहीं है। मगर अधीनस्थ न्यायालय में गुदडराम पुत्र अन्नराज को वादीपक्ष के गवाह के तौर पर पेश किया गया, जिसके सशपथ बयान लिपिबद्ध हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे नजरअंदाज करते हुए उक्त तनकी का निष्कर्ष पारित किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह भी कथन है कि प्रपत्र तीन के साथ जो मिसल बंदोबस्त पेश की गयी, वह इस स्तर पर पेश नहीं की जा सकती, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय का आधार ही उक्त मिसल बंदोबस्त को बनाया है, जबकि बिना प्रदर्श कराये और बतौर साक्ष्य ग्रहण किये उक्त मिसल बंदोबस्त के आधार पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का यह भी कथन है कि गोदनामा लिखित अथवा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूत को नहीं मानने, तथा प्रतिवादिनी की ओर से बिना कोई दस्तावेज प्रदर्श कराये भी वादी-पक्ष का वाद खारिज करने तथा प्रतिवादिनी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि जांवताराम ने न तो किसी को दत्तक लिया और न ही कोई वसीयत निष्पादित की। वादग्रस्त आराजियात में जो हिस्सा जांवताराम का बनता है, प्रतिवादिनी संख्या 17 उसकी एकमात्र जाईन्दा पुत्री होने से उत्तराधिकार के आधार पर तनहा हकदार है। तथाकथित गोदनाम व वसीयत रजिस्टर्ड

नहीं है। गोदनामा पर दत्तक देने वाली यानि वादी की माता के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह मान्य नहीं है। इसके अलावा अविवाहित व्यक्ति ही गोद जा सकता है जैसाकि भारतीय दत्तक अधिनियम की धारा 10 में प्राविधित है। दावे में वादी सोनराज स्वयं के बयान नहीं हुए, केवल उसका आम मुख्त्यार प्रकाश चन्द के बयान हुए है। वादी के अनुसार वह 40 साल की आयु में गोद गया, उसके गवाह डॅगरराम पीडब्ल्यु तीन के अनुसार 50 साल की आयु में सोनराज गोद गया। इस प्रकार वादी के गोद जाने के संबंध में स्वयं वादी एवं उसके गवाहान के बयानात में विरोधाभास है। वकील रेस्पो: ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य मामले में दावे, जबाब दावे, काउण्टर क्लेम और जबाबबुल जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दादरसी सहित कुल 8 तनकियात कायम की गयी। तनकीवार विवेचन इस प्रकार है -

1. **आया वादी स्व. जांवताराम का गोदपुत्र है तथा जांवताराम ने 20 मई 1976 को वादी के पक्ष में गोदनामा तकमील किया था?** (जिम्मे वादी) का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के खिलाफ किया गया है। यह गोदनामा के संबंध में है, गोदनामा के आधार पर वादी जांवताराम के हिस्से की वादग्रस्त आराजियात बाबत अकेले अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। इस संबंध में **गोदनामा का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि इस दस्तावेज पर वादी सोनराज को दत्तक देने वाली उसकी कुदरती**

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

माता सुआदेवी के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी भी सुआदेवी अथवा उसका शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब गोदनामा लिखित होना व उसे अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श भी कराया गया है तो लिखित गोदनामा के अनुरूप उस पर गोद देने वाले एवं गोद लेने वाले के हस्ताक्षर/अंगुष्ट निशान के अभाव में विधिक दस्तावेज नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वादी सोनराज के दत्तक जाने के संबंध में जो मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें भी गम्भीर विरोधाभास पाया जाता है, वादी ने अपने वाद में गोद जाने के समय अपनी आयु 42 साल होना बताया, वहीं उसके गवाह डॅगरराम पीडब्ल्यु तीन के अनुसार वादी सोनराज 50 साल की आयु में गोद गया। इस प्रकार परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य एवं अपूर्ण हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक का निस्तारण वादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में करने में अदालत हाजा की राय में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः तनकी संख्या एक के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष से अदालत हाजा सहमत है, जो यथावत रखा जाता है।

2. **आया स्व. जांवताराम ने वादी के पक्ष में 22 फरवरी 1985 को वसीयतनामा तकमील किया था ..... (जिम्मे वादी)**

इस तनकी को साबित करने का सिद्धभार भी वादीगण पर था, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी के संबंध में उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों व 2014(1) आरआरटी 209,

एआईआर 1990 (एससी) 1742, 2007(2) सीसीसी242(एससी) व 2010(3) सीसीसी 43 (एससी) में प्रतिपादित सिद्धान्तों की कसौटी पर प्रकरण की जॉच करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1998 डीएनजे 150 (एससी) में प्रतिपादित मतानुसार कि जब वसीयत किसी भी कारण से संदिग्ध हो तो लाभार्थी के लिए उसे संदेह से परे साबित करना नितान्त आवश्यक है। मगर आलौच्य मामले में वादी इस प्रकार का कोई साक्ष्य पेश कर अपने पक्ष को साबित नहीं कर पाया। इन सभी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी बाबत पारित निष्कर्ष सही पाया जाता है, जो यथावत रखा जाता है।

3. **आया वादी उक्त गोदनामें व वसीयतनामे के आधार पर वाद-पत्र के पद संख्या 2अ,ब स में वर्णित वादग्रस्त भूमि में जांवतराम की जगह खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। .... (जिम्मे वादी)**

तनकी संख्या एक व दो का विनिश्चयन वादीगण के खिलाफ हो जाने के कारण इस तनकी संख्या तीन का विनिश्चयन स्वतः ही स्वभाविक तौर पर वादीगण के खिलाफ हो जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या तीन का निस्तारण वादीगण के खिलाफ करने में कोई त्रुटि या भूल नहीं की गयी है।

4. **आया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 के विरुद्ध वाद-पत्र के पद संख्या 2-अ,ब,स में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से में कब्जे काश्त में दखलादांजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। ..... (जिम्मे वादी)**

तनकी संख्या तीन का निस्तारण वादीगण के खिलाफ होने एवं वादीगण को जांवताराम के हिस्से की भूमि बाबत खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारों की घोषणा का मुश्तहक नहीं माने जाने का कारण स्वभाविक तौर से उनके पक्ष में जांवताराम के हिस्से की भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई आधार नहीं रहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या चार का निस्तारण वादीगण के खिलाफ सही किया गया है।

5. **अनुतोष**

उपरोक्त चारों तनकियात वादीगण के खिलाफ निस्तारित हो जाने के कारण वादीगण अपने वाद में वर्णित हिस्से अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के पात्र नहीं पाये जाते है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मत से अदालत हाजा सहमत है।

6. **आया गोदनामा दिनांक 20 मई 1976 फर्जी दस्तावेज है ..... (जिम्मे प्रतिवादी)**

अदालत हाजा की राय में यह तनकी संख्या एक का परिवर्तित रूप है, जिसके संबंध में दो बाते ध्यान दिये जाने योग्य है, प्रथमतः कोई दस्तावेज फर्जी है अथवा नहीं, इसका विनिश्चयन करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को उपलब्ध नहीं है। अतः यह तनकी जिस स्वरूप में कायम की गयी है, वह स्वरूप ही गलत है। द्वितीय, राजस्व न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में किसी दस्तावेज की जांच में यह विनिश्चित किया जा सकता है कि प्रस्तुतकर्ता को प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है या नहीं? आलौच्य मामले में गोदनामा बाबत विस्तृत विवेचन पूर्व में तनकी संख्या एक के दौरान किया जा चुका है।

7. **आया वसीयतनामा दिनांक 22 फरवरी 1985 फर्जी दस्तावेज है .... (जिम्मे प्रतिवादी)**

यह भी तनकी संख्या 6 के समान ही है। साथ ही इस तनकी का निस्तारण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल बंदोबस्त संवत 2016 के अवलोकन से आराजी खसरा संख्या 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 350, 351, 341, 344, 346, 347 और 1070/349 में अन्ना, जांवता पिसरान पाबूदान का संयुक्त रूप से कुल भूमि का **एक चौथाई हिस्सा ही बनना जाहिर** किया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में खतौनी बंदोबस्त संवत 2016 प्रपत्र तीन के साथ दिनांक 07 मई 2014 को पेश की गयी है जिस विधिवत प्रदर्श भी नहीं करवाया गया है। इसके अतिरिक्त इसका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि इसके कॉलम संख्या चार में अन्ना, जुवंता पिसरान पाबुदान, रामचन्द्र छोटिया मोटिया पिसरान सरदार, ढगलिया हापुडा पिसरान जगिया, हंसराज शिवराज भगवानदास पिसरान नैना कौम ब्राहम्ण साकिन देह डोलीदार दर्ज है। जाहिर है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2016 में किसी भी पक्षकार का स्पष्ट हिस्सा अंकित नहीं किया हुआ है, ऐसी स्थिति में निश्चयपूर्व यह नहीं कहा जा सकता है कि किस सहखातेदार का कितना हिस्सा बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से अदालत हाजा सहमत नहीं है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2016 के अनुसार सहखातेदारान का हिस्सा पृथक-पृथक घोषित अनुसार ही है।

8. **आया नाथी देवी वादग्रस्त में जावंतराम की जगह बंटवाडा की डिकी पाने की अधिकारी हैं ..... (जिम्मे प्रतिवादी)**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलोच्य मामले में दावे, जबाब, काउण्टर क्लेम एवं जबाबबुल जबाब आदि किसी भी स्तर पर इस तथ्य का किसी भी पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया गया है कि प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथीदेवी जांवता की पुत्री है अर्थात प्रतिवादिनी संख्या 17 नाथीदेवी स्व. जावंता की एकमात्र पुत्री संतान है। अतः वादग्रस्त आराजियात में उत्तराधिकार के आधार पर उसके हक-हकूक से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु स्वयं जांवता का वादग्रस्त आराजियात में वास्तव में कितना हिस्सा निहित था, यह साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किये जाने के बाद ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 8 का निस्तारण करते हुए प्रतिवादिनी संख्या 17 का अन्य पक्षकारान के हिस्सों बाबत भी घोषणात्मक टिप्पणी व्यक्त की है जिसकी वस्तुतः साक्ष्य के रूप में ग्राह्य राजस्व अभिलेख से विधिवत पुष्टि नहीं होने से अदालत हाजा सहमत नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 19 मई 2014 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का पुनः अवसर दिया जाकर तनकी संख्या 7 व 8 का विनिश्चय करते हुए बाद स्पष्ट निष्कर्ष नये सिरे से प्राथमिक डिकी एवं निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर